राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7 (2)( )/रा.छा./सान्याअवि/22/13375 जयपुर,दिनांक 14-3-2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 25 के अन्तर्गत राज्य मे समस्त राजकीय एवं अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों मे अध्ययरत विद्यार्थियों के मैस भत्ते की राशि को एक समान करते हुऐ 2500/– रूपये प्रति विद्यार्थी/आवासी प्रतिमाह किये जाने की घोषणा की गई है।

घोषणा के अनुसरण मे विभाग द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावासों की मैस भत्ते की राशि रूपये 2000/– से बढ़ाकर रूपये 2500/– प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162200396 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण मे जारी की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होगें।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :एफ 7 (2)( )/रा.छा./सान्याअवि/22/13336-81 जयपुर,दिनांक 14-3-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निदेशक, वित्त (बजट), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–।।) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (आय–व्यय अनुभाग), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. 162200396 दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे।
8. निजी सचिव निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
10. संयुक्त निदेशक (योजना) मुख्यावास।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय .....।
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....।
13. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश सीएमआईएस पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर ऑन लाइन करने हेतु ।
14. गार्ड फाईल।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव